-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी :-

वाद सं०
84/2014

तारीख दायरा
03/07/2014

(4)

तारीख फैसला
21/01/2016

पीठासीन अधिकारी :- S.D. मीणा [R.A.S.]

-: उनवान :-

(1) कमलाबाई पत्नी दौलतराम जाति गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)
(2) सम्पतबाई पत्नी मथुरालाल जाति गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)

— वादीगण -

-: बनाम :-

(1) रामचन्द्र आ० देवीलाल जाति मेघवाल निवासी न्यामतखेड़ी
(2) रामचन्द्र आ० देवीलाल जाति मेघवाल निवासी न्यामतखेड़ी
(3) रामगोपाल आ० कन्हीराम जाति मेघवाल निवासी न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान
(4) दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी

-प्रतिवादीगण-

-: वाद अन्तर्गत धारा 183 R.T. Act :-

उपस्थित अधिवक्तागण :-
(1) श्री घनश्याम धाकड़ :- वकील वादीगण
(2) श्री प्रदीप कुमार अहीर / श्री परमानन्द अहीर :- वकील प्रति० 1 से 3

-: निर्णय :-

दि० 21/01/16

वादीगण द्वारा एक वादपत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नं० 25 की 0.01 हे० तथा 26 की 1.93 कुल 1.94 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण की भूमि से लगी हुई है। इसी का फायदा उठा कर प्रतिवादीगण ने वादी की कब्जा -

क्रमशः - P.T.O.

खुदा आराजी पर धीरे-धीरे मिलाकर कब्जा कर लिया है। वादीगण द्वारा पटवारी से पैमाईश करवाने पर पता चला कि प्रति० द्वारा वादीगण की उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया है। प्रति० से उनका अवैध कब्जा हटाने की कहने पर प्रतिवादीगण लट्ठ लेकर आ गये तथा वादीगण को खेत की हंकाई नहीं करने दी गई। वे गाली गलौच करने लगे तथा मारपीट पर उतारू हो गये। उन्होंने कहा कि वे मर जायेंगे, मार देंगे मगर भूमि पर कब्जा नहीं देंगे। वादीगण गरीब महिलायें है, तथा प्रतिवादीगण का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। वादीगण से कहा गया है, कि खेत से चले-जाओ वरना मार देंगे। वादीगण को भूमि पर काश्त नहीं करने दिया तथा कब्जा हटाने से प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। इस कार० वादीगण के लिये यह वाद विरुद्ध प्रतिवादी० प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकार० दि० 15.6.14 को पैदा हुआ है। प्रति० नं० 4 को भूमिधारक होने से फोर्मल पक्षकार बनाया गया है।

इस प्रकार अन्य कथन कर वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे, कि वाके माल न्यामतखेड़ी प० ह० धनावद तहसील रामगंजमण्डी की भूमि ख० नं० 25 रकबा 0.01 हे० ख० नं० 26 की रकबा 1.93 कुल 2 किता की 1.94 हैक्टर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को दखल दिलाया जावे। बतौर हर्जा खर्चा 10,000/- प्रतिवर्ष के हिसाब से दिलवाया जावे।

दावा वादीगण पेश होने पर प्रकर० दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।-प्रतिवादी नं० 1 से 3 की ओर से श्री प्रदीप कुमार व श्री परमानंद अहीर विद्वान अधिवक्तागण द्वारा वकालातनामा पेश किया। प्रति० द्वारा वाद वादीगण का मदवार जवाब पेश कर वाद को अस्वीकार किया तथा विशेष आपत्तियों में अंकन किया कि

प्रतिवादीगण के खर्चं के खाते की आराजी वाके माल ग्राम न्यामतखेड़ी पटवार मण्डल घतनावद तह० रामगंजमण्डी में ख० नं० 35 की रकबा 0.26 हैक्टर भूमि स्थित है। जिस पर प्रति० काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रति० क्रम 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 3 को जर्ये विक्रयपत्र दि० 25.4.14 को बेचान कर दिया है। बेचान तिथि से प्रतिवादी नं० 3 का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी पर कभी कब्जा नहीं किया है। झूंठा तथ्य बताकर यह वाद पेश किया है, जो काबिल खारिज है।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी ग्राम न्यामतखेड़ी सम्वत /सन् 2004-2024 खाता नम्बर 154 तथा नकल पैमाईश रिपोर्ट ख० नं. 25 व 26 ग्राम न्यामतखेड़ी दि० 21.5.14 द्वारा पटवारी घतनावद मय आदेश तहसीलदार रामगंजमण्डी दि० क्रमांक /रा.अ./2014/67 दि० 13.5.14

तनकीयात के स्तर पर विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा यह कथन किये कि प्रकरण में तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य अनुसार या दस्तावेज के आधार पर विनिश्चय कर दिया जावे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। हस्ब नकल जमाबन्दी वाके माल ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी 2004-24 खाता नम्बर 154 पर खसरा नम्बर 25 व 26 किता 2 रकबा 1.94 हैक्टर भूमि के वादीनीगण अभिलिखित खातेदार है। वादीनीगण द्वारा उक्त भूमि पर हाड़ोती बैंक रामगंजमण्डी से ऋण लिया है, इसका अंकन जमाबंदी का खाना कैफियत में

नामान्तरकरण 187 दिनाङ्क 29.1.10 के रूप में अंकित है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार के स्वत्व होने की रिलीफ नहीं चाही और न ऐसे कथन जवाब में ही अंकित किये। जवाब में वादग्रस्त भूमि से उनका संबंध तथा कब्जा नहीं होने के कथन किये।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि की वादियांगण अभिलिखित खातेदार प्रमाणित है। प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का वादग्रस्त उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं होना प्रकट होता है— प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने का कथन वादीगण करते हैं, इसके विपरीत प्रति० नं० 1 से 3 उक्त तथ्य से इन्कार करते हैं। पत्वार पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 21.5.14 के अनुसार यह तय किये जाने में दो राय नहीं हैं, कि मौके पर कुल भूमि 9 बीघा है, रिकार्ड में 12 बीघा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी नं० 1 का कब्जा होना स्पष्ट अंकित किया हुआ है। इस प्रकार प्रकरण में मूलतः यही एक विरोधाभासी तथ्य था, जिसका निराकरण जवाब विरोध आपत्तियाँ मद नं० [अ.] से होता है, कि प्रति० नं० 1 व 2 द्वारा प्रति० नं० 3 को भूमि का बेचान कर दिया है अर्थात उनके खाते की भूमि ख० नं० 35 रकबा 0.26 हे० भूमि का बेचान कर कब्जा प्रति० नं० 3 को दे दिया है। वादीगण का यह कथन है, कि प्रति० की भूमि तथा वादग्रस्त भूमि समीप ही स्थित होने से प्रति० द्वारा शनैः-शनैः वादग्रस्त भूमि पर भी कब्जा कर लिया है। पैमाईश रिपोर्ट इसकी ताईद करती है।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की हैसियत कब्जे के मामले में धारा 5 की उपधारा 44 में यथा-परिभाषित अतिचारी की प्रकट होती है। R.R.D. 1960 माधो बनाम कल्याण में अभिनिर्धारित किया गया है, कि —

"जो व्यक्ति बिना अनुमति भूमि पर काबिज रहता है, वह - अतिक्रमि है"

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा अतिचार की श्रेणी में आता है। प्रकरण में यह तथ्य भी अहम है, कि वादग्रस्त भूमि मौके पर 9 बीघा है तथा रिकार्ड एवं नक्शे में 12बीघा है। इस तथ्य पर धारा 183 R.T. Act के प्रावधानों के क्रम में विचार एवं विवेचन उचित नहीं है। इस क्रम में वादीगण पृथक से दुरुस्ती व घोषणा का वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

R.R.D. 1979 पेज 2 कालू बनाम मु0 नवली में प्रतिपादित - किया गया है, कि " एक बार वादी यदि यह सिद्ध कर देता है, कि वह खातेदार है, तो सारा भार प्रतिवादी पर चला जाता है, कि वह कब्जा कैसे बनाये रखेगा " इसी प्रकार का प्रतिपादन R.R.D 1984 पेज 529 जबरसिंह v/s श्रीमती दुर्गा में किया गया है।

इस प्रकार यह तय है, कि वादियागण वादग्रस्त भूमि - की अभिलिखित खातेदार अर्थात धारा 14 में यथा वर्णित खातेदार की श्रेणी में है। प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। वादियांगण अपनी खाते- दारी में दर्ज भूमि पर वापस कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी प्रकट होती है।

अतः दावा वादियांगण आंशिकरूप से स्वीकार - किया जाकर आदेश दिये जाते है, कि वादग्रस्त भूमि ग्राम श्यामलखेड़ी पटवार मण्डल धानावद तहसील रामगंजमंडी खसरा नम्बर 25 रकबा 0.01 है, 26 रकबा 1.93 हे0 कुल - किता 2 रकबा 1.94 हेक्टर के जितने हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का कब्जा पाया जावे, उतने हिस्से से प्रति-

(9) (6)

वादी नम्बर 1 से 3 को बेदखल किया जाकर वादीआगण को कब्जा संभलाया जावे। तथा दावा दायरी से बेदखली तक की अवधि का कब्जेशुदा भूमि के लगान का 15 गुना जुर्माना प्रतिवादी नं० 1 से 3 से वसूला जाकर वादीआगण को दिलाया जावे। यह आदेश मात्र वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी नं० 1 से 3 के विरुद्ध ही प्रभावी रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01-2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

[S.D. मीणा]
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Judl/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, ज.ब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंज मण्डी

हुक्काम एस० डी० मीणा [आर० ए० एस०]

कमलाबाई बनाम रामचन्द्र

दावा बाबत 183. R.T. Act

मुकद्दमा नं. 84 सन् 2014

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू S.D. MEENA [R.A.S.]

श्री घनश्याम धाकड़ एड० मिनजानिब मुद्दई व श्री प्रदीप कुमार एड०

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादियांगण आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम न्यामतखेड़ी प०म० खानावद के ख० नं० 25/0.01 व 26/1.93 किता 2 रकबा 1.94 हेक्टर के जितने रकबे पर प्रतिवादी नं. 1 से 3 का कब्जा पाया जावे, उतने रकबे से प्रति० नं० 1 से 3 को बेदखल किया जाकर वादियागण को कब्जा संभलाया जावे। दावा दायरी से बेदखली तक की अवधि का कब्जेशुदा भूमि के लगान का 15 गुना जुर्माना प्रति० नं. 1 ता 3 से वसूल जाकर वादियागण को दिलाया जावे। आदेश वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के विरुद्ध ही प्रभावी रहेगा। की अदा करें।

बतसदीक मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 01 2016 को जारी की गई।

दस्तखत (हस्ताक्षर)
ओहदा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी)

खर्चा मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प वजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ..			खर्चा गवाहान ..		
खर्चा गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर ..			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक ..		
मुतफर्रिक ..					
मीजान ..	—	—	मीजान ..	—	—

नोट—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

... ही -49-2004-1,00,000 ड.

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी